न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 521/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

राजेन्द्र सिह सिद्धू पुत्र अजायब सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1. अजायबसिह पुत्र हमीरसिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनु.
2. गुरलालसिह पुत्र अजायबसिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनु.
3. छोटूसिह पुत्र अजायबसिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनु.
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी
2– श्री विवेक बुढानियाँ – वकील प्रति सं. 1 ता 3

निर्णय दिनांक :– 28.11.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रति स. 1 ता 3 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है। प्रति स. 1 के नाम चक 4 एन.टी.डब्लयु खाता स. 2/2 खाता अजायब सिह वगैरा ज.स. 2072–75 व चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 117/2 खाता अजायब सिह वगैरा ज.स. 2073–76 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स. 1 अजायब सिह पुत्र हमीर सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।प्रति स. 1 अजायब सिह पुत्र हमीर सिह के नाम दर्ज आराजी में वादी व प्रति स. 2 व 3 का जन्म से ही विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। प्रति स. 1 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी व प्रति स. 2 व 3 के पक्ष में ब.हि.ब. कर दिया है। अतः उक्त आराजी में प्रति स. 1 अजायब सिह पुत्र हमीर सिह का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। अतः प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 2 व 3 ही खातेदार काश्तकार है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी [illegible] है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दावा की दफ[illegible] के [illegible]बिक दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो प[illegible] वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 मे [illegible] आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:20:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।

अतः चक 4 एन.टी.डब्लयु खाता स. 2/2 खाता अजायब सिह वगैरा ज.स. 2072-75 व चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 117/ 2 खाता अजायब सिह वगैरा ज.स. 2073-76 मे प्रति स. 1 अजायब सिह पुत्र हमीर सिह के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 2 व 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी मे प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा उक्त खातो से प्रति स. 1 अजायब सिह पुत्र हमीर सिह का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया। जवाबदावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर जवाब स्टेट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। साक्ष्य वादी मे वादी राजेन्द्र सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 4 एनटीडब्ल्यु खाता संख्या 76/81 जमाबन्दी सम्वत 2060-2063 एवं चक 13 बीजीपी खाता संख्या 91/92 जमाबन्दी सम्वत 2061-2064 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 4 एनटीडब्ल्यु खाता संख्या 2/2 जमाबन्दी सम्वत 2072-2071 व चक 13 बीजीपी खाता संख्या 117/2 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 में प्रतिवादी संख्या 1 अजायब सिह पुत्र हमीर सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है एवं वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है इसलिए वादपत्र को स्वीकार किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने दौराने बहस वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया [illegible] गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही प[illegible] आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 4 एन.टी.डब्लयु खाता स. 2/2 खात[illegible] अजायब सिह वगैरा ज.स. 2072-75 व चक 13 बी.जी.पी. खाता स. 117/ 2 खाता अजायब सिह वगैरा ज.स. 2073-76 में प्रति स. 1 अजायब सिह पुत्र हमीर सिह के नाम है। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:20:53 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा मय इकबालदावा पेश किया जा चुका है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर यह पाया गया कि पक्षकारान ने राज्य के राजस्व को हानि पहुंचाने के लिए यह कार्यवाही की है। जिससे न्यायालय खातेदारी अधिकारों की घोषणा से पूर्व राज्य हित को देखना नितान्त आवश्यक समझा और ऐसी स्थिति में वादी को नियमानुसार 500/– रूपये के स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर नियमानुसार नकल जारी किये जाने के आदेश दिये जाकर वाद वादी मुताबिक जवाबदावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– प्रतिवादी सं. 1 अजायब सिह पुत्र हमीर सिह के नाम चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 2/2 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 एवं चक 13 बीजीपी खाता संख्या 117/2 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में दर्ज आराजी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(जय कौशिक)

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:20:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 521/2024

राजेन्द्र सिह सिद्धू पुत्र अजायब सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1. अजायबसिह पुत्र हमीरसिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनु.
2. गुरलालसिह पुत्र अजायबसिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनु.
3. छोटूसिह पुत्र अजायबसिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनु.
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री विवेक बुढ़ानियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 अजायब सिह पुत्र हमीर सिह के नाम चक 4 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 2/2 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 एवं चक 13 बीजीपी खाता संख्या 117/2 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में दर्ज आराजी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.....X.....नल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....[illegible] X निल 5 [illegible] खर्चा [illegible] मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख [illegible] वसूलयाबी तक [illegible] को बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.11.2024 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:20:53 IST
Reason: SelfAttested